भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1845
06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चेहरे की पहचान पर आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम

1845. श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अभिघात केन्द्र का विस्तार करने और एक नए ब्लॉक का निर्माण करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली सहित देशभर के विभिन्न शहरों में स्थित अन्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों और केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा और संरक्षा के प्रयोजनार्थ चेहरे की पहचान पर आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम (एफआरबीएसीएस) शुरू करने/स्थापित करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है ?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): 60 आईसीयू बेड और 11 अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर सहित कुल 259 बेड की क्षमता के साथ एम्स, नई दिल्ली का जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (जेपीएनएटीसी) कार्यशील है।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने समय-समय पर देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा और संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में एडवाइज़री जारी की है। इस संबंध में एम्स-नई दिल्ली ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें कार्यनीति संबंधी महत्वपूर्ण स्थानों पर हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाना सहित, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, कर्मचारियों, रोगियों और आगंतुकों के लिए पहचान बैज जारी करना, रोगी के परिचारकों की पहुंच को विनियमित करना, अंधेरे स्थानों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, जन समाधान प्रणाली की स्थापना, विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) और निगरानी दल शामिल हैं।

*****